



# उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web: <http://www.upavp.in> E-mail: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत “भागीदारी में किफायती आवास” हेतु डिमाण्ड सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुष्ठान (एन.ए.ए.ए.ए.) शासनादेश दिनांक 26.09.2017 के अनुपालन में सूडा/डूडा द्वारा “भागीदारी में किफायती आवास” घटक के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित भवनों में 2.50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। सब्सिडी के अतिरिक्त उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को प्रत्येक भवन हेतु रु. 2 लाख का भूदान जमा करना होगा, जिसके अनुसार भवन के मूल्य पर नियमानुसार जी.एम.डी. का चयनित पात्र व्यक्ति द्वारा देय होगी।

अतः सूडा/डूडा द्वारा चिन्हित पात्र व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे इटावा/बहराईच नगर में भवन लेने के इच्छुक हो तो वह अपना आवेदन एवं निम्नलिखित अभिलेखों सहित निम्नांकित स्थानीय कार्यालयों में प्रातः 10:00 बजे सायं 5:00 बजे तक दिनांक 30.12.2017 तक जमा कर सकते हैं।

1. डूडा/सूडा में आवेदित /ऑन लाइन प्रार्थना-पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
2. आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छाया प्रति।
3. किस योजना में भवन क्रय करने के इच्छुक है की सूचना के साथ इस्तिलाह सहमति पत्र कलर फोटो सहित।

### स्थानीय कार्यालय

- (1) **कार्यालय अधिशासी अभियंता**, निर्माण इकाई, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद स्पिनिंग मिल, परिसर इटावा में श्री राम साहू, अवर अभियन्ता, मो. : 8795810493
- (2) **कार्यालय अधिशासी अभियंता**, निर्माण खण्ड 4, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बहराईच भिन्गा मार्ग, भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना (एन.ए.ए.ए.ए. पालिटेक्निक के पास), कल्लीपारा, बहराईच, में श्री आनंद, अवर अभियन्ता, मो. : 8795810493

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) "भागीदारी में किफायती आवास" घटक के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन प्राप्त करने हेतु सहमति-पत्र

सहमति-पत्र

कलर फोटो चस्पा  
कर उसके ऊपर  
स्व-हस्ताक्षर करें

सेवा में,

सक्षम अधिकारी

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

लखनऊ।

मैं, \_\_\_\_\_पुत्र/पुत्री/पत्नी\_\_\_\_\_

घोषणा करता/करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) घटक के अन्तर्गत वृन्दावन योजना, लखनऊ/अवध विहार योजना, लखनऊ में आवास कय करना चाहता/चाहती हूँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत "भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) घटक के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी रु० 2.50 लाख के अतिरिक्त शेष धनराशि रु० 2.00 लाख के साथ जी० एस० टी० जो भी अतिरिक्त देय होगी, को मैं परिषद खाते में नियमानुसार जमा करने के लिये सहमत हूँ। मेरा सूडा/नगर निगम में पंजीकरण संख्या\_\_\_\_\_ दिनांक\_\_\_\_\_है।  
मेरे व्यवहार/स्थाई पता\_\_\_\_\_

मेरा आधार नं०\_\_\_\_\_तथा दूरभाष नं०\_\_\_\_\_है।

संलग्नक: 1- सूडा/डूडा में पंजीकरण की स्व-हस्ताक्षरित  
छाया प्रति।

हस्ताक्षर

2- स्व-हस्ताक्षरित आधार कार्ड की  
छाया प्रति।

(\_\_\_\_\_)

3- स्व-हस्ताक्षरित स्थाई/पत्र व्यवहार  
के पते की छाया प्रति।

आवेदक का नाम